

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/1302 /

जबलपुर, दिनांक 09/02/2024

II-14-107/21

श्रीमती हेमलता खराडे, जूनियर ज्युडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को म.प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम 38 के अनुसार दिनांक 31.05.2023 से 26.11.2023 तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश एवं नियम 38-ग के कंडिका 1 से 7 तक के अनुसार दिनांक 27.11.2023 से 22.12.2023 तक 26 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया गया।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक A/1303 /

जबलपुर, दिनांक 09/02/2024

II-14-107/21

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक अवकाश/42 इंदौर दिनांक 05.01.2024 के संदर्भ में श्रीमती हेमलता खराडे, जूनियर ज्युडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर का निर्धारित प्रपत्र मूलतः, डिस्चार्ज कार्ड, कार्यभार ग्रहण आवेदन पत्र, जन्म प्रमाण पत्र एवं संलग्न सहपत्र को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. ए.ओ. (जे) स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
5. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)